

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

मुख्यारुल हक,
परामर्शी।

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेकॉन कॉलोनी,
A-2 श्यामली, राँची।

पटना-15, दिनांक:.....

विषय:- श्री रोहित कुमार सिंह द्वारा बांका जिलान्तर्गत खिड़डी ग्राम के खाता संख्या-97, प्लॉट संख्या-376, थाना संख्या-411, थाना-रजौन, अंचल-रजौन में SH-19 भागलपुर-हंसडीहा पथ के किनारे BPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.02424 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति (Stage-1) प्राप्त करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयांकित प्रस्ताव श्री रोहित कुमार सिंह, ग्राम-खिड़डी, अंचल-रजौन, थाना-रजौन, जिला-बांका द्वारा समर्पित किया गया है, जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के अनुमोदनोपरांत नोडल पदाधिकारी, (वन संरक्षण), बिहार की अनुशंसा के साथ प्राप्त हुआ है।

विषयांकित पथ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या-921(ई०) दिनांक-28.08.1997 द्वारा सुरक्षित वन के रूप में अधिसूचित है, लेकिन भूमि का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का है। रिटेल आउटलेट के निर्माण के क्रम में 0.02424 हे० वन भूमि के अपयोजन का प्रस्ताव है।

वन संरक्षक, वन्यप्राणी अंचल, भागलपुर द्वारा किया गया है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, बांका द्वारा अंकित किया गया है कि प्रस्तावित स्थल पर वृक्ष का पातन नहीं किया जाना है, तथा प्रस्तावित स्थल का वानस्पतिक घनत्व 0.1 अंकित किया गया है।

जिला पदाधिकारी, बांका द्वारा FRA, 2006 प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं है। विषयांकित पथ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक-11-43/2013-FC दिनांक-26.02.2019 (छायाप्रति संलग्न) के आलोक में FRA, 2006 प्रमाण-पत्र, सैद्धांतिक स्वीकृति के अनुपालन के साथ प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। प्रस्तावित अपयोजन प्रस्ताव का Geo Referenced Map संलग्न है एवं उसका Shape file Formant की सॉफ्ट कॉपी संलग्न है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत निम्नांकित शर्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जाती है:-

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।

2. अपयोजित होने वाली वन भूमि 0.02424 हे० के लिए नेट प्रजेन्ट वैल्यू (NPV) के मद में रू० 6.26 लाख प्रति हे० की दर से रू० 15,174/- (पन्द्रह हजार एक सौ चौहत्तर रुपये) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. हरितावरण को बनाये रखने के लिए 100 (एक सौ) वृक्षों के रोपण एवं सम्पोषण हेतु 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि को प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या-03, दिनांक-01.11.2017 द्वारा निर्धारित दर के अनुसार अद्यतन मजदूरी दर पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
4. भारत सरकार के पत्र संख्या-11-29/2004 दिनांक-15.07.2004 द्वारा निर्गत दिशा-निदेश के अनुसार उक्त भूभाग का Commercial उपयोग (भवन बनाकर भी) नहीं किया जायेगा।
5. भारत सरकार के पत्र संख्या-11-29/2004 दिनांक-15.07.2004 द्वारा निर्गत दिशा-निदेश के अनुरूप प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा प्रवेश/निकास छोड़कर शेष भाग में हरित पट्टी तैयार किया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही रिटेल आउटलेट की परिसीमा में 1-1.5 मीटर की दूरी पर पौधारोपण करना होगा एवं भारत सरकार के पत्रांक-5-3/2007 दिनांक-18.03.2010 द्वारा निर्गत दिशा-निदेश के अनुरूप प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रवेश निकास छोड़कर प्रतिष्ठान के पूरे परिसीमा में 1-1.5 मीटर की दूरी पर पौधारोपण कर हरित पट्टी तैयार किया जाना अनिवार्य होगा। हरित पट्टी परिसर की चहारदीवारी से 1.5 मीटर हटकर तैयार की जायेगी साथ ही प्रवेश एवं निकास को छोड़कर रिटेल आउटलेट के आगे के हिस्से में Shrubby या Ornamental पौधा का रोपण किया जायेगा।

विश्वासभाजन
ह०/-
(मोख्तारूल हक)
परामर्शी

ज्ञापक: वन भूमि-124/2020...../प०व०ज०प०, पटना-15, दिनांक.....

प्रतिलिपि :-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(कैम्पा)-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार/श्री रोहित कुमार सिंह, ग्राम-खिड़डी, अंचल-रजौन, थाना-रजौन, जिला-बांका को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(मोख्तारूल हक)
परामर्शी

ज्ञापक: वन भूमि-124/2020...../प०व०ज०प०, पटना-15, दिनांक 24/12/2020

प्रतिलिपि :-आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को निदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव को मंत्रालय के वेब-साईट पर अपलोड करते हुए पार्ट-2 उपलब्ध कराया जाय।

22/12/20
(मोख्तारूल हक)
परामर्शी